

समाज कल्याण विभाग
दिल्ली सरकार
विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या: 276
प्रश्नकर्ता: श्री गुलाब सिंह
दिनांक: 11.08.2017

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

	प्रश्न	उत्तर
(क)	मटियाला विधानसभा में कितने कितने लोगों को सीनियर सिटीजन, विकलांग पेंशन और विधवा आर्थिक सहायता दी जा रही है.	मटियाला विधान सभा क्षेत्र के लाभान्वितों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:- वृद्धावस्था लाभार्थी - 5211 विकलांग लाभार्थी - 1649 विधवा लाभार्थी - 3119
(ख)	कितने लोगों को बढी हुई (1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन सीनियर सिटीजन पेंशन/दिव्यांग पेंशन/विधवा आर्थिक सहायता) पेंशन मिल रही है, और	बढी हुई पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है - वृद्धावस्था लाभार्थी - 3464 विकलांग लाभार्थी - 1208 विधवा लाभार्थी - 2528
(ग)	क्या यह सत्य है कि आधार कार्ड जमा करवाने के बाद भी लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है.	जी नहीं। विभाग द्वारा बढी हुई वृद्धावस्था पेंशन राशि केवल आधार लिंक खातों में ही प्रेषित की जा रही है। अतः जिन लाभार्थियों का खाता आधार से लिंक है उन सभी को बढी हुई पेंशन राशि मिल रही है। बाकी सभी लाभार्थियों को अपने आधार नम्बर को अपने बैंक खाते के साथ जुडवाने की सलाह दी जाती है।
(घ)	इन सबको कब तक पिछली बकाया पेंशन मिल जाएगी ?	जब से लाभार्थियों का खाता आधार से लिंक होगा तभी से लाभार्थी को बढी हुई पेंशन राशि मिलेगी।

पंकज कुमार

Sd/- Director (Social Welfare)
Social Welfare Department
Govt. of NCT of Delhi
C.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002